

कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज मुख्यालय बलरामपुर (छ0ग0)

क्रमांक 2414 / वाचक / कले0 / 2018

बलरामपुर दिनांक 28 / 03 / 2018

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

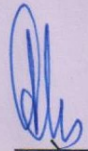
कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, रामानुजगंज द्वारा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तहसील वाड्डफनगर अन्तर्गत ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश समा मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.50 हे0 राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, रामानुजगंज के पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वाड्डफनगर द्वारा अपने प्रतिवेदन में ग्राम बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा मार्ग निर्माण में निम्नांकित अनुसूची-1 में अंकित खसरा नंबर अनुसार कुल रकबा 0.50 हे0 प्रभावित होना प्रतिवेदन किया गया है जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

अनुसूची-1

क्र0	ग्राम का नाम	तहसील	ख0क्रमांक	कुल रकबा (हे0 में)	आवेदित रकबा (हे0 में)	मद
1	2	3	4	5	6	7
1.	बलंगी (झापर)	वाड्डफनगर	46	1.49	0.021	छोटे झाड़ का जंगल
2.	बलंगी (झापर)	वाड्डफनगर	47	11.86	0.352	-----"
3.	बलंगी (झापर)	वाड्डफनगर	119	0.50	0.060	-----"
4.	बलंगी (झापर)	वाड्डफनगर	120	0.63	0.067	-----"
		योग:-	04	14.48	0.50	

उपरोक्त भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वाड्डफनगर द्वारा जॉच पश्चात् प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली भूमि कुल रकबा 0.50 हे0 के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

अनुसूची-1 के कॉलम नं0 4 में अंकित खसरा क्रमांक एवं कॉलम नं0 5 में रकबा में से कॉलम नं0 6 में अंकित रकबा, जिसका कुल योग रकबा 0.50 हे0 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत, गैर वानिकी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु, व्यपवर्तन की अनुमति यदि किसी सक्षम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, तो राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर
COLLECTOR
बलरामपुर-रामानुजगंज
(B. Ramapur - R. Ganj C.S.)